न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 40 / 2023

1 बचनसिंह पुत्र देवा जाति जाट निवासी भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 सोनी देवी पत्नी ताराचन्द
2 रामनिवास पुत्र ताराचन्द
3 सुभाष पुत्र ताराचन्द
4 दयाकौर पुत्र ताराचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
5 विजयपाल पुत्र नेमीचन्द नवीरा ताराचन्द
6 भूपेन्द्र पुत्र नेमीचन्द नवीरा ताराचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
7 किरण पुत्री नेमीचन्द नवीरा ताराचन्द
8 रीना पुत्री नेमीचन्द नवीरा ताराचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
9 रोशन पुत्र झुथाराम
10 रामसिंह पुत्र झुथाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
11 राधा देवी पत्नी झुथाराम जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
12 प्रभाती देवी पुत्री झुथाराम पत्नी महताब जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 कमला पुत्री झुथाराम पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 संतोष पुत्री झुथाराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
15 भतेरी पुत्री झुथाराम पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
16 धर्मा देवी पत्नी रामपत जाति जाट निवासी भैंसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
17 मालाराम पुत्र देवा जाति जाट निवासी भैंसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
18 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
19 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
20 उप पंजीयक बुहाना/सिंघाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री
बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं
दावा उनवानी सोनी देवी बनाम रोशन वगै. मु.नं. 57/2019
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.11.2022 दावा
बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनूं

3

–निर्णय–

दिनांकः– 26/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 142 व हाल खसरा नम्बर 305/140 वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला। वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305/140 रकबा 0.11 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 80/1 है उक्त भूमि संवत 2012 से आज तक अपीलान्ट के पूर्वज देवाराम पुत्र कुंभाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 142, 305/140 बाबत जिसके गत खसरा नम्बर 80/1 है उक्त भूमि बाबत दिनांक 07.12.1956 को आपसी राजीनामा के आधार पर निर्णय हो चूका है। उक्त वाद के मु.नं. 195/1956 है तथा उनवान मामराज बनाम किसनी देवी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी है उक्त दावे के निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि गत खसरा नम्बर 80 के दक्षिणी भाग 4 बीघा खास (कच्ची भूमि) मामराज के हिस्से में रहेगी। मामराज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वज है। उक्त भूमि बाबत जब फौत इन्तकाल दिनांक 20.04.19954 को हुआ तो राजस्व कर्मचारियों की गलती से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 18 का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व प्राथमिक डिक्री बिना आधार के पारित कर कानूनी गलती है। ग्राम भैसावता कलां में स्थित भूमि में हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305/140 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 16 का हिस्सा 1/2 भाग के स्थान पर 1/4 भाग दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल करे। शेष भूमि का अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या .... का 1/4 व 1/24 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावें। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम भैसावता कलां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.54 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 305/140 रकबा 0.11 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 9, 10 का दर्ज हिस्से अनुसार वाद को प्राथमिक डिक्री कर कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि विचारण न्यायालय में उभयपक्ष के अधिवक्ता ने प्राथमिक डिक्री के लिए सहमति प्रदान कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट विचारण न्यायालय में जरियें वकील उपस्थित रहा है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 12.07.2022, 23.09.2022 को वास्ते जवाब/तलबी नियत रहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर केवल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादी के वकील के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा, प्रतिदावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष की खाता विभाजन पर सहमति होना अंकित कर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है जबकि आदेशिका पर अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता की सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)